

26 जून, 2020

सरकारी आदेश 2020-43

सरकारी आदेश 2020-43
(कोविड-19 (COVID-19) कार्यकारी आदेश सं. 41)

समुदाय पुनर्जीवन आदेश

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय एक ऐसी वैश्विक-महामारी द्वारा उत्पन्न आपदा का सामना कर रहा है जो असाधारण रुग्णता एवं जनहानि का कारण बनी है, 1,40,000 से भी अधिक को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा अभी-भी बढ़ रहा है, और जिसने हजारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, सारे समय पर विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय वासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, जैसा कि इलिनोइस कोरोनावायरस वायरस 2019 (COVID-19) के कारण होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का जवाब देने के पांचवें महीने में प्रवेश करता है, एक गंभीर श्वसन बीमारी है जो श्वसन संक्रमण के माध्यम से तेजी से फैलती है और जो एक प्रभावी उपचार या टीका के बिना जारी रहती है। राज्य भर में निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, पहले उत्तरदाताओं और सरकारों पर बोझ अभूतपूर्व है; तथा,

जबकि, जब कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित परिस्थितियां तेजी से विकसित हो रही हैं तो ऐसे में उभरते आ रहे साक्ष्यों के फलस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलने वाली जानकारी एवं मार्गदर्शन में बारंबार बदलाव हुए हैं; और,

जबकि, हालांकि CDC ने शुरू में सुरक्षा के रूप में कपड़े के फ्रेस कवर या मास्क पहनने के विरोध में अनुशंसा की थी, लक्षणहीन और लक्षण-पूर्व संचार पर हुए शोध के नतीजे में, CDC ने अपने निष्कर्षों को संशोधित किया और ऐसे सार्वजनिक स्थानों में कपड़े के फ्रेस कवर पहनने का सुझाव देता है जहां सामाजिक दूरी के उपायों को बनाए रखना कठिन है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन इस बात का अधिकाधिक समर्थन कर रहा है कि जिन सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहां कपड़े के फ्रेस कवर पहने जाएं, और यह संकेत दे रहा है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोखिम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोखिम की तुलना में कम है; और,

जबकि, चूंकि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान कोविड-19 (COVID-19) इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का पथ क्या होगा इसके निर्णायक पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, आज, 26 जून, 2020 को, इलिनॉय की 101 काउंटियों में कोविड-19 (COVID-19) के पुष्ट मामलों की संख्या लगभग 140,000 है; और,

जबकि, आज, 26 जून, 2020 तक, कोविड-19 (COVID-19) के कारण इलिनॉय के 6,800 से भी अधिक निवासियों की मौत हो चुकी है; और,

जबकि, अब CDC का यह आकलन है कि कोविड-19 (COVID-19) के सूचित हुए हर मामले के लिए, संक्रमण के 10 असूचित मामले मौजूद हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में कुल मामलों की संख्या इस समय सूचित संख्या से 10 गुना अधिक हो सकती है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ्रेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, हालांकि कोविड-19 (COVID-19) के नए मामलों की संख्या हाल के सप्ताह में घटी है, पर वायरस अभी-भी हजारों लोगों को संक्रमित कर रहा है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में इलिनॉय वासियों की जान ले रहा है; और,

जबकि, जहां इलिनॉय वासियों द्वारा बरती गई सावधानी के कारण राज्य में कोविड-19 (COVID-19) के मामलों और मौतों की संख्या में हाल के कुछ सप्ताह में तेज गिरावट देखने को मिली है, वहीं जिन अन्य राज्यों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां अपनाने में देरी की या उन्हें नहीं अपनाया, अथवा जिन राज्यों ने वे सावधानियां समय से पहले ही हटा लीं, वे राज्य अब मामलों में विस्फोटक वृद्धि का और मामलों की संख्या के नए कीर्तिमानों का अनुभव कर रहे हैं; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) ने विषम रूप से ऊंची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक वासियों की जानें ली हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया है – जिससे स्वास्थ्य विषमताएं एवं असमानताएं उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई हैं; और,

जबकि, हालांकि अस्पताल में भर्तियों की संख्या घटी है, पर इलिनॉय में अस्पताल शैया और ICU शैया का उपयोग प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से अधिक है, और, यदि COVID-19 मामलों की संख्या में और उछाल आता है, तो राज्य के सामने इन अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है; और,

जबकि, 6,800 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की त्रासद जनहानि करने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपत्ति बनकर टूटने के अतिरिक्त, कोविड-19 (COVID-19) ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी पूरे राष्ट्र एवं राज्य में उल्लेखनीय संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों के आर्थिक कुशलक्षेम को खतरे में डाले हुए है; और,

जबकि, इलिनॉय रोजगार सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी) ने घोषणा की थी कि अप्रैल में राज्य की बेरोजगारी दर बढ़कर 16.4% हो गई थी और उस माह 7,62,000 नौकरियां गई थीं; और,

जबकि, इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी) ने घोषणा की थी कि मई में राज्य की बेरोज़गारी दर 15.2% थी, और यह कि इलिनॉय के प्रमुख उद्योग, जैसे विश्राम और सत्कार, परिवहन एवं जनोपयोगी सेवाएं (बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस आदि), और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मार्च से मई की अवधि में विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं; और,

जबकि, इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी) इस आर्थिक संकट पर कई तरीकों से प्रतिक्रिया दे रहा है, जिसमें वैश्विक-महामारी बेरोज़गारी सहायता (पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस) कार्यक्रम के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

जबकि, वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी) इस आर्थिक संकट के हल की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसमें कोविड-19 (COVID-19) संबंधी बंदी के कारण प्रचालन की सीमित योग्यता का अनुभव करने वाले व्यवसायों के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट्स प्रोग्राम) के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई आर्थिक हानि एवं असुरक्षा ने व्यवसायों की व्यवहार्यता को और आवास, चिकित्सीय देखभाल, भोजन, एवं निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाले अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधनों की सुलभता को खतरे में डाला है; और,

जबकि, पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर, और कोविड-19 (COVID-19) के अपेक्षित निरंतर प्रसार को, तथा संपूर्ण राज्य के लोग आगामी माहों में जिन परिणामी स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभावों का अनुभव करेंगे उनको, विचार में रखते हुए, मैंने घोषणा की कि इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक महामारी आपातकाल एवं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का गठन करती हैं; और,

जबकि, पूर्वोक्त के आधार पर, मैंने घोषणा की कि अस्पताल संसाधनों पर लगातार बना हुआ बोझ, संक्रमणों की संख्या में उछाल आने की स्थिति में इन संसाधनों की संभावित कमी, और PPE की खरीद एवं वितरण बढ़ाने तथा कोविड-19 (COVID-19) की परीक्षण क्षमता बढ़ाने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का गठन करते हैं; और,

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं तुरंत प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूँ:

समुदाय पुनर्जीवन आदेश

1. **इस कार्यकारी आदेश का आशय।** इस कार्यकारी आदेश का प्रयोजन उन गतिविधियों को सुरक्षित ढंग से, सतर्कता के साथ और कर्मठतापूर्वक ढंग से बहाल करना और विस्तार करना है जो कोविड-19 (COVID-19) के मामलों की संख्या में विस्फोट होने और उनके द्वारा हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अभिभूत कर दिए जाने के कारण रुक गई थीं या सीमित हो गई थीं। जब इलिनॉय वासी इन गतिविधियों को बहाल और विस्तारित करेंगे, तब हमें उस प्रगति को वापस नहीं गंवाना है जो हमने अब तक हासिल की है। हम हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अभिभूत करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं, और हमें इलिनॉय के सभी निवासियों के स्वास्थ्य एवं जीवन को, विशेष रूप से हमारे राज्य के उन निवासियों जो सर्वाधिक अरक्षित हैं, के स्वास्थ्य और जीवन को प्राथमिकता देनी ही है। हम हमारे समुदायों का संरक्षण करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को बहाल करेंगे और वायरस से हुई आर्थिक क्षति की मरम्मत करेंगे। इस कार्यकारी आदेश का प्रयोजन उन लक्ष्यों को प्रभावी करना है।

यह कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश 2020-38 का स्थान लेता है।

2. **व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।** व्यक्तियों को अपने एवं अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:
- सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं।** उस सीमा तक जबकि व्यक्ति अपने निवास के बाहर होने के दौरान, जिसमें बाहर खुले में होना शामिल है, साझा स्थानों का उपयोग कर रहे हों, उन्हें सारे समय और तर्कसंगतता की अधिकतम संभव सीमा तक, ऐसे हर अन्य व्यक्ति जो उनके साथ नहीं रहता है, से कम-से-कम छः फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।
 - सार्वजनिक स्थानों पर या काम के स्थान पर चेहरे को ढंके।¹** कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु दो वर्ष से अधिक है और जो चिकित्सकीय दृष्टि से चेहरे के ढंकने को सहन कर सकता है (एक मास्क या चेहरे को ढंकने वाला कपड़ा), को लोगों के बीच होने पर और छह फीट की सामाजिक दूरी कायम ना रख पाने पर अपने नाक और मुंह को ढंकना होगा। यह आवश्यकता लागू रहेगी, भले ही व्यक्ति किसी भवन के अंदर के स्थान में हो, जैसे किसी स्टोर में, या किसी सार्वजनिक बाहरी खुले स्थान पर, जहां छः फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता है।
 - वृद्ध व्यक्तियों और बीमारी के कारण कमजोर हो गए व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।** जो लोग कोविड-19 (COVID-19) से गंभीर रुग्णता के उच्च जोखिम में हैं, जिनमें वृद्ध लोग एवं ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से ग्रस्त लोग शामिल हैं जो उन्हें अरक्षित बना सकती है, उनसे आग्रह है कि वे अपने निवास स्थान में ही रहें और दूसरों से व्यक्तिगत संपर्क को अधिकतम संभव सीमा तक घटा दें।
 - एकत्रण सीमित करें।** पचास से अधिक लोगों का कोई भी एकत्रण निषिद्ध है, बशर्ते उसे इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट न मिली हो। इस शासकीय आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी एक घर या निवास के सदस्यों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता हो। चूंकि व्यक्तिगत संपर्क ही कोविड-19 (COVID-19) के संचार का सबसे बड़ा जोखिम उत्पन्न करता है, अतः इलिनॉय वासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दूसरों के साथ व्यक्तिगत संपर्क को सीमित करना जारी रखें और अपने सामाजिक संपर्क को बेहद सावधानी के साथ विस्तार दें। दूर रहते हुए एकत्र होना गृहस्थी या निवास स्थान से बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे सुरक्षित तरीका बना हुआ है।
 - बाहर खुले में जाएं।** सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन यह सुझाव देता है कि भवन में अंदर रहने के विपरीत, बाहर खुले में होने पर कोविड-19 (COVID-19) के संचार का जोखिम काफी घट जाता है। इलिनॉय वासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जहां संभव हो वहां वे अपनी गतिविधियां बाहर खुले में संचालित करें।
3. **व्यवसायों, अलाभ संगठनों, एवं अन्य संगठनों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, कवर किए गए व्यवसायों में सेवा की प्रकृति, किये जाने वाले कार्य, या कॉर्पोरेट या इकाई संरचना की परवाह किए बिना सभी लाभकारी, गैर-लाभकारी या शैक्षिक संस्था शामिल हैं। इन इकाइयों/संस्थाओं/कंपनियों को अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, और उनके प्रचालनों के भौतिक संपर्क में आने वाले अन्य सभी लोगों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित उपाय करने होंगे:

¹ इस संपूर्ण कार्यकारी आदेश में, फेस कवर पहनने की आवश्यकता के सभी संदर्भों में दो वर्ष एवं इससे छोटे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए फेस कवर पहनना चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इलिनॉय मानवाधिकार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स) की ओर से फेस कवर के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf

a. **सभी व्यवसायों की जरूरतें।** सभी व्यवसायों को:

- मूल्यांकन करना जारी रखना चाहिए कि कौन से कर्मचारी घर से काम करने में सक्षम हैं, और जब संभव हो घर से दूरस्थ रूप से कार्य की सुविधा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है;
- यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं और जब सामाजिक दूरी हमेशा संभव न हो तब वे फ़ेस कवर पहनें;
- यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
- यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर आने वाले सभी आगंतुक (ग्राहक, वेंडर, इत्यादि) सामाजिक दूरी व्यवहार में ला सकते हों; पर यदि छ: फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना सारे समय संभव नहीं हो, तो उन्हें आगंतुकों को फ़ेस कवर पहनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा; और
- कोविड-19 (COVID-19) आपातस्थिति के दौरान कार्यस्थलीय सुरक्षा के संबंध में इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, IDPH) और इलिनॉय महान्यायवादी कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ इलिनॉय अटार्नी जनरल) द्वारा जारी मार्गदर्शन को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा²

वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी, DCEO) ने, IDPH की भागीदारी के साथ, व्यवसायों को सुरक्षित एवं उत्तरदायी ढंग से प्रचालन करने में सहायता देने के लिए उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन एवं टूलकिट विकसित किए हैं। ये दस्तावेज़ यहां उपलब्ध हैं: <https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/>.

b. **फुटकर दुकानों (रिटेल स्टोर) के लिए आवश्यकताएं।** फुटकर दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे:

- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरींग प्रदान करें जो हर ग्राहकों और अन्य कर्मचारियों से समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
- स्टोर में जितने लोगों के खड़े होने की क्षमता हो उसके 50 प्रतिशत तक ही लोगों को आने दें, या, वैकल्पिक रूप से, डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा आपके स्टोर के वर्ग फुट के आधार पर निर्धारित की गई सीमा तक;
- इस आदेश में निर्धारित सामाजिक दूरी और चेहरा ढांकने की आवश्यकताओं के बारे में; इन-स्टोर साइनेज और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों से संवाद करें, और
- पुनः उपयोग में आने वाले बैग का उपयोग बंद करें।

c. **निर्माताओं के लिए जरूरतें।** निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे:

- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरींग प्रदान करें जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;

² उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf

- यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
 - कोविड-19 (COVID-19) आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में सामाजिक दूरी संभव बनाने और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो उस सीमा तक प्रचालनों में संशोधन करें एवं उनका आकार घटाएं (शिफ्ट बांटना, लाइन गति घटाना, केवल आवश्यक लाइनें संचालित करना, और अनावश्यक लाइनें बंद कर देना)।
- d. **कार्यालय भवनों के लिए आवश्यकताएं।** नियोक्ताओं को कार्यालय भवनों में यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिनमें ये शामिल हो सकती हैं:
- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरींग प्रदान करें जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
 - जहां भौतिक स्थान ऐसा हो जिसमें सामाजिक दूरी संभव न हो, तो वहां क्षमता सीमाएं लागू करने पर विचार करें;
 - जहां संभव हो वहां दूर-से-कार्य (टेलीवर्क) की अनुमति दें; और
 - प्रतीक्षा कमरों, सेवा काउंटरों, और कैफेटेरिया आदि साझा स्थानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं एवं संकेत व संदेश तैयार करें और प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
- e. **बैठकों/सभाओं एवं कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए आवश्यकताएं।** भवन के अंदर वाले स्थान और बैठकों/सभाओं के स्थान पचास सहभागियों या कमरे की क्षमता के पचास प्रतिशत में से जो भी कम हो उसके साथ, और DCEO के मार्गदर्शन के अनुसार प्रचालन कर सकते हैं।
- f. **रेस्त्राओं और बार के लिए आवश्यकताएं।** सभी व्यवसाय जो ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग के लिए भोजन या पेय प्रदान करते हैं—जिनमें रेस्त्रां, बार, किराने की दुकान, और फूड हॉल के लिए—सेवा ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग के लिए बहाल हो सकती है, जैसे DCEO मार्गदर्शन द्वारा अनुमति है। ऐसे व्यवसायों को भोजन और पेय पदार्थों को परोसने के लिए अनुमति जारी रहेगी ताकि वे ऑफ-प्रिमाइसेस का सेवन कर सकें, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति है, जैसे कि इन-हाउस डेलिवरी, थर्ड-पार्टी डिलीवरी, ड्राइव-थ्रू और कर्बसाइड पिक-अप। ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग या कैरी-आउट के लिए भोजन या पेय पदार्थों की पेशकश करने वाले प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक ऐसा वातावरण हो जहां संरक्षक पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस अनुभाग में कवर किए गए सभी व्यवसाय DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में और जब स्थानीय अध्यादेशों एवं विनियमों द्वारा अनुमति हो तब, परिसर के अंदर, भवन से बाहर खुले में खाद्य एवं पेय पदार्थों के उपभोग की अनुमति दे सकते हैं।
- g. **फ़िटनेस एवं व्यायाम जिम के लिए आवश्यकताएं।** फ़िटनेस और व्यायाम जिम DCEO मार्गदर्शन की संगति में खोले जा सकते हैं, जिसमें सदस्यों के व्यायाम के लिए क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत पर और सामाजिक दूरी एवं अन्य सावधानियों के साथ प्रचालन करना शामिल है।
- h. **व्यक्तिगत सेवा इकाइयों के लिए आवश्यकताएं।** व्यक्तिगत सेवा इकाइयां, जैसे स्पा, हेयर सैलॉन, नाई की दुकानें, नेल सैलॉन, वैक्सिंग केंद्र, टैटू पार्लर, एवं ऐसी ही अन्य इकाइयां खोली जा सकती हैं पर उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में फ़ेस कवर का उपयोग, सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन, और क्षमता सीमाओं का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

- i. बाहर खुले में मनबहलाव, युवा दिवसीय शिविरों (डे कैम्प), और युवा खेलों के लिए आवश्यकताएं। बाहर खुले में मनबहलाव, युवा दिवसीय शिविरों (डे कैम्प), और युवा खेलों की सेवाएं देने वाले व्यवसाय खोले जा सकते हैं पर उन्हें फ्रेस कवर के उपयोग एवं सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना होगा और DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य कदमों का पालन करना होगा।
- j. जन कौतुक (एम्पूजमेंट) के स्थान के लिए आवश्यकताएं। जन कौतुक (एम्पूजमेंट) के स्थान भवन के अंदर और बाहर खुले में मन-बहलाव (जिसमें आरकेड, बोलिंग एली, और ड्राइविंग रेंज शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), संग्रहालयों और जलजीवशालाओं, चिड़ियाघरों और वनस्पति उद्यानों, थिएटर एवं प्रदर्शन कलाओं, और बाहर खुले में सीटों वाले दर्शक कार्यक्रमों के लिए DCEO के मार्गदर्शन की संगति में सेवाएं बहाल कर सकते हैं।
- k. फ़िल्म निर्माण के लिए आवश्यकताएं। फ़िल्म निर्माण, DCEO मार्गदर्शन में वर्णित प्रतिबंधों के साथ प्रचालन कर सकता है।
- l. न्यूनतम बुनियादी और आधारभूत क्रियाएँ। सभी व्यवसाय निम्नलिखित को जारी रख सकते हैं:
 - i. व्यवसाय के भौतिक संयंत्र और उपकरणों की स्थिति को बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रक्रिया पेरोल और कर्मचारी लाभ, या संबंधित कार्यों के लिए व्यवसाय की सूची के मूल्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक गतिविधियां करें।
 - ii. व्यवसाय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए आवश्यक गतिविधियाँ करें जो दूर से काम करना जारी रखने में सक्षम हैं।
 - iii. पिक-अप या डिलीवरी के माध्यम से ऑनलाइन एवं टेलीफोनिक फुटकर ऑर्डर पूरे करना।

4. अपवाद।

- a. मुक्त धर्मपालना। यह कार्यकारी आदेश मुक्त धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक नेताओं, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/सभा के सदस्यों/भक्तगणों, और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित परिपाटियों एवं दिशानिर्देशों का पालन करें।³ जैसा कि IDPH दिशानिर्देशों में वर्णित है, इस समय धार्मिक संगठनों के लिए सबसे सुरक्षित परिपाटी यही है कि वे अपनी सेवाएं ऑनलाइन, ड्राइव-इन प्रारूप में, या बाहर खुले में (तथा सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं और फ्रेस कवर पहनने से संबंधित मार्गदर्शन की अनुरूपता में) प्रदान करें, और भवन के अंदर की सेवाओं को 10 लोगों पर सीमित करें। धार्मिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सामाजिक दूरी, फ्रेस कवर के उपयोग, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कदम उठाएं।

³ उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: <https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance>

- b. **आपातकालीन कार्य** सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखने और सिफारिश किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- c. **सरकारी कार्य** यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है।
5. **सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवरींग, और PPE आवश्यकताएँ** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, समाजी दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखना, कम से कम बीस सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना या जितनी बार संभव हो, हाथ सैनिटाइजर का उपयोग करना, खांसी या छींक को कवर करना (आस्तीन या कोहनी से, हाथों से नहीं), नियमित रूप से उच्च स्पर्श सतहों की सफाई, और हाथ नहीं मिलाना है।
- a. **आवश्यक उपाय** व्यवसायों को सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें, जहां संभव हो वहां, निम्नलिखित शामिल हैं:
- छह फुट की दूरी** उचित दूरी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइनेज, टेप या अन्य माध्यमों से छह फुट की दूरी;
 - हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद** कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद
 - अतिसंवेदनशील आबादी के लिए अलग परिचालन घंटे** बुजुर्गों और अतिसंवेदनशील ग्राहकों के लिए अलग परिचालन घंटे लागू करना;
 - ऑनलाइन और रिमोट एक्सेस** ऑनलाइन पोस्ट करना कि क्या एक सुविधा सार्वजनिक खुली है और सुविधा तक पहुंचने के लिए और फोन या रिमोट द्वारा सेवाएं जारी रखना कितना सर्वश्रेष्ठ है; और
 - फेस कवरींग और PPE**. कर्मचारियों को उचित फेस कवरींग के साथ प्रदान करना और जहां हर समय छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है, वहाँ यह आवश्यक है कि कर्मचारी फेस कवरींग पहनें। काम की परिस्थितियों के अनुसार फेस कवरींग के अलावा अन्य PPE कर्मचारियों को प्रदान करना।
6. **लागू करना** इलिनोइस आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7, धारा 15, धारा 18 धारा 19 और, अन्य बातों के साथ, यह कार्यकारी आदेश राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा लागू किया जाएगा।

व्यवसायों को चरण IV के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपर्टुनिटी, और इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में इलिनोइस अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा दिए गए या प्रकाशित किए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। व्हिसलब्लोअर एक्ट की धारा 25 (बी), 740 ILCS 174 के अनुसार, व्यवसायों को जानकारी का खुलासा करने के लिए कर्मचारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से प्रतिबंधित किया जाता है, जहां कर्मचारी के पास यह मानने का उचित कारण है कि उक्त जानकारी इस आदेश का उल्लंघन है।

7. **अधिकार पर कोई सीमा नहीं** इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी, या स्थानीय सरकारी निकाय को आदेश देने (1) किसी भी संगरोध या अलग रखने की अनुमति देने वाले किसी भी मौजूदा कानूनी अधिकार में परिवर्तन या संशोधन करेगा, बस इसे इस लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय क्षेत्र या चिकित्सा परिक्षेत्र के अंदर रहने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता हो सकती है या, (2) आपातकालीन लोक स्वास्थ्य की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए बंद करने या किसी विशिष्ट स्थान में जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस कार्यकारी आदेश में निहित किसी भी बात का अर्थ किसी संगरोध (क्वॉरन्टीन), पृथक्वास (आइसोलेशन), या बंदी का आदेश देने के किसी भी प्राधिकार के उपयोग के रूप में नहीं लिया जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी प्राधिकरण को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस कार्यकारी आदेश में उन लोगों की तुलना में सख्त हैं।
8. **बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)**। यदि इस अध्यादेश का कोई प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर उसका अनुप्रयोग सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा अमान्य निर्णीत होता है, तो यह अमान्यता अन्य किसी भी प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, और उस अन्य किसी भी प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है। इस कार्यकारी आदेश के संबंध में यह कार्यकारी आदेश का आशय किसी भी न्यायालय के आदेश के साथ पढ़ा जाना है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 26 जून, 2020 को जारी

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 26 जून, 2020 को दायर